समक्ष सुधीर मित्तल, जज

कपिल हूडा-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी No.15123 ऑफ़ 2007

11 दिसंबर, 2020

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-याचिकाकर्ता ने उपाधीक्षक जेल के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था-मैट्रिक तक स्नातक की डिग्री और हिंदी की निर्धारित/आवश्यक योग्यता के अलावा-याचिकाकर्ता के पास अपराध विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री भी थी-दो उम्मीदवारों का चयन आवश्यक योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर किया गया था-याचिकाकर्ता का चयन नहीं किया गया था-चयन के लिए चुनौती इस आधार पर कि याचिकाकर्ता को वरीयता योग्यता के लिए महत्व नहीं दिया गया था-याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि अगर उसे इस तरह का महत्व दिया जाता, तो वह दो चयनित उम्मीदवारों की तुलना में योग्यता में अधिक होता-राज्य ने यह रुख अपनाया कि वरीयता योग्यता केवल तभी लागू होती है जब दो उम्मीदवार आवश्यक योग्यता के आधार पर समान अंक प्राप्त करते हैं-राज्य के रुख से सहमत होते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि उक्त वरीयता आरक्षण का गठन नही

माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अधिमान्य योग्यता से सम्बंधित मुद्दे की जाँच की के मुद्दे की जांच की गई है ! ऐसा ही एक फैसला है 'सचिव, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम वाई.वी.वी.आर. श्रीनिवासुलु एवं अन्य 2003 (5) एससीसी 341 जिसमे यह माना गया है कि यदि किसी उम्मीदवार के पास अधिमान्य योग्यता है, तो इससे संतुलन उसके पक्ष में झुक जायेगा यदि अन्य उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों के बराबर अंक प्राप्त किए हैं ! चयन प्रक्रिया में अधिमान्य योग्यता का प्रावधान उक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को उसकी समग्र योग्यता से स्वतंत्र माने जाने का हकदार नहीं बनाता है ! उक्त वरीयता आरक्षण का गठन नहीं करती है यदि ऐसा होता तो चयन प्रक्रिया की पवित्रता कमजोर हो जाती क्योंकि इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि बिना वरीयता योग्यता वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेष्ठता दिखाने की अनुमति दी जा सके ! यदि अधिमान्य योग्यता वाले उम्मीदवारों को एक अलग ब्लॉक के रूप में माना जाता है तो योग्यता से समझौता किया जाएगा !

(पैरा 10)

कपिल हुड्डा
याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से,
संजय मित्तल, ए. ए. जी, हरियाणा,
आर. के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित यशदीप सिंह, अधिवक्ता
उत्तरवादी नम्बर 2 व 3 की बिनाह पर

सुधीर मित्तल, जज

(1) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दिनांक 07.12.2006 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया (अनुलग्नक पी-1) जिसमें उप अधीक्षक, जेल के 03 पदों सहित बड़ी संख्या में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे ! उक्त पद के लिए निर्धारित योग्यताएं थीं (ए) कला या विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री, (बी) मैट्रिक मानक तक हिंदी का ज्ञान, (सी) न्यूनतम ऊंचाई और छाती माप मानक और (डी) डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता अपराधशास्त्र में ! याचिकाकर्ता के पास पंजाब विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री के साथ-साथ एल.एन.जे.एन. से

अपराध विज्ञान में स्नातकोत्तर राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान डिग्री है ! उन्होंने उक्त पद के लिए भी आवेदन किया था और उन्हें 29.03.2007 को शारीरिक माप परीक्षण के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ! साक्षात्कार 30.03.2007 को आयोजित किया गया था ! इसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किया गया और याचिकाकर्ता का नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। व्यथित होकर, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी !

(2) यह भी उल्लेख योग्य है कि याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार था और उपरोक्त 03 में से 02 पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए थे !

(3) रिट याचिका में दिए गए कथनों पर गौर करने से पता चलता है कि गैर-चयन को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपराध विज्ञान में स्नातकोत्तर की अधिमान्य योग्यता को उचित महत्व नहीं दिया गया था। चयनित उम्मीदवारों यानी उत्तरदाताओं नंबर 2 और 3 के पास अधिमान्य योग्यता नहीं है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि उन्होंने क्रमशः 43.90 अंक और 43.10 अंक प्राप्त किए, जबकि याचिकाकर्ता ने 40.29 अंक प्राप्त किए थे। यदि अधिमान्य योग्यता को उचित महत्व दिया गया होता, तो याचिकाकर्ता ने चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए होते !

(4) राज्य के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं की ओर से दायर लिखित बयान में कहा गया है कि अधिमान्य योग्यता रखने वाला उम्मीदवार तभी सफल होगा जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने समान अंक प्राप्त किए हों। अधिमान्य योग्यता रखने से किसी

उम्मीदवार को उसकी योग्यता स्थिति के बावजूद अन्य उम्मीदवारों से ऊपर विचार किए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता है

(5) उत्तरदाताओं नंबर 2 और 3 की ओर से दायर लिखित बयान की एक प्रतिकृति दायर की गई है। अतिरिक्त दस्तावेजों को इसके साथ अनुबंध पी -7 से पी -15 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है। दस्तावेज़ अनुलग्नक पी-7 पत्र दिनांक 23.10.2007 है जो प्रतिवादी संख्या 1 के सचिव द्वारा याचिकाकर्ता को लिखा गया है जिसमें चयनित उम्मीदवारों के साथ-साथ याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों की जानकारी दी गई है। इस जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता को उच्च योग्यता के लिए 02 अंक दिए गए हैं जबकि चयनित अभ्यर्थियों को इस अंक पर कोई अंक नहीं दिया गया है. वाइव वॉइस परीक्षा में, चयनित उम्मीदवारों ने क्रमशः 23 और 20 अंक प्राप्त किए हैं जबकि याचिकाकर्ता ने 12 अंक प्राप्त किए हैं। शैक्षणिक योग्यता के लिए याचिकाकर्ता को 45 में से 26.29 अंक दिए गए हैं, जबकि चयनित उम्मीदवारों को क्रमशः 20.90 और 23.10 अंक दिए गए हैं। कुल मिलाकर, याचिकाकर्ता ने 40.29 अंक हासिल किए हैं, जबकि चयनित उम्मीदवारों ने क्रमशः 43.90 और 43.10 अंक हासिल किए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत याचिकाकर्ता को प्राप्त एक अन्य पत्र दिनांक 23.10.2007 को अनुबंध पी-8 के रूप में संलग्न किया गया है और उक्त पत्र के अनुसार उच्च योग्यता के लिए कुल 05 अंक रखे गए थे। एक उम्मीदवार जिसके पास पीएच.डी. है। डिग्री पूरे 05 अंक के हकदार थे जबकि एम.फिल और पोस्ट-ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवार क्रमशः 03 अंक और 02 अंक के हकदार थे !

(6) उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स की पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि चूंकि उसके पास अपराध विज्ञान में डिग्री की अधिमानी योग्यता थी, इसलिए उसे चयनित उम्मीदवारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी ! इसके अलावा, याचिकाकर्ता उच्च योग्यता रखने के लिए 05 अंक देने का हकदार था, लेकिन उसे केवल 02 अंक दिए गए हैं ! यदि उसे पूरे 05 अंक दिये गये होते तो उसे कुल 45.29 अंक प्राप्त होते और वह मेरिट के क्रम में प्रथम स्थान पर होता ! इस प्रकार, वह नियुक्त होने का हकदार है और प्रतिवादी नंबर 3 को अपना पद खाली करना होगा !

(7) उत्तरवादी नंबर 2 के पास स्नातक की अपेक्षित न्यूनतम योग्यता नहीं होने और शारीरिक परीक्षा के बिना सीधे साक्षात्कार के माध्यम से चयन प्रक्रिया में उसका पक्ष लेने के संबंध में अतिरिक्त तर्क भी उठाए गए हैं, लेकिन इसे कोई तथ्यात्मक नहीं माना जा रहा है ! इसकी नींव रिट याचिका में रखी गई है ! उक्त तर्क बाद के चरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उठाए गए हैं !

हालाँकि, उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखा गया है, लेकिन चयनित उम्मीदवारों द्वारा इसका जवाब नहीं दिया जा सका क्योंकि रिट याचिका में इस संबंध में कोई दावा नहीं किया गया था और चयनित उम्मीदवारों को सूचित किए बिना उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर ले लिया गया था !

(8) विद्वान राज्य वकील के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं के वकील ने अपने संबंधित लिखित बयानों के अनुसार तर्क उठाए हैं ! इसके अलावा, चयनित उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि रिट याचिका में दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया है और इस प्रकार, प्रतिकृति में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर उठाए गए तर्क खारिज किए जाने चाहिए !

(9) इस प्रकार, निर्णय किए जाने वाले मुद्दे हैं (ए) क्या याचिकाकर्ता केवल अधिमान्य योग्यता के आधार पर चयनित होने का हकदार है और (बी) क्या वह उच्च योग्यता के कारण 05 अंकों का हकदार था !

(10) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अधिमान्य योग्यता से संबंधित मुद्दे की जांच की गई है ! ऐसा ही एक निर्णय है 'सचिव, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम वाई.वी.वी.आर.' श्रीनिवासुलु एवं अन्य, 2003(5) एससीसी 341 ! यह माना गया है कि यदि किसी उम्मीदवार के पास अधिमान्य योग्यता है, तो इससे संतुलन उसके पक्ष में झुक जाएगा यदि उसने अन्य उम्मीदवारों के समान अंक प्राप्त किए हैं ! चयन प्रक्रिया में अधिमान्य योग्यता का प्रावधान उक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को उसकी समग्र योग्यता से स्वतंत्र माने जाने का अधिकार नहीं देता है ! उक्त वरीयता आरक्षण का गठन नहीं करती है ! यदि ऐसा होता, तो चयन प्रक्रिया की पवित्रता कमजोर हो जाती क्योंकि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बिना अधिमान्य योग्यता वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेष्ठता दिखाने की अनुमति दी जा सके ! यदि अधिमानी योग्यता वाले उम्मीदवारों को एक अलग ब्लॉक के रूप में माना जाता है तो योग्यता से समझौता किया जाएगा !

(11) उपरोक्त आधिकारिक घोषणा के मद्देनजर, याचिकाकर्ता का यह तर्क सही नहीं है कि उसे नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी !

(12) याचिकाकर्ता की यह दलील कि वह उच्च योग्यता के लिए 05 अंक पाने का हकदार है, भी गलत है ! पत्र दिनांक 23.10.2007 (अनुलग्नक पी-8) द्वारा प्रदान की गई जानकारी से पता चलता है कि उच्च योग्यता के लिए कुल 05 अंक दिए जा

सकते हैं और पूरे 05 अंक केवल पीएचडी डिग्री धारकों को दिए जाने थे ! पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री होने पर उम्मीदवार को 02 अंक दिए जाने का अधिकार है जो याचिकाकर्ता को दिए गए हैं !

13. उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है !

ऋतंभरा ऋषि

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नकी किया जा सकता है ! सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा !

सुनीता